(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2331-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-09-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 152/2006-07/अपील

गुलाबवेग पिता असगरवेग
निवासी मुगलपुरा शाजापुर कृषक ग्राम महुपुरा
जिला शाजापुर

-------आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार शाजापुर

--------अनावदेक

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक--आवेदक
श्री कमल जैन, शासकीय अभिभाषक--अनावदेक

** आ दे श **

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नगर शाजापुर स्थित गरासिया घाट सिद्धेश्वर देवस्थल एवं हिन्दू बाल श्मशान स्थित है । उक्त भूमि का सर्वे क्रमांक 34 रकबा 0.334 हेक्टेयर है । यह भूमि वर्ष 1925 से कब्रिस्तान के रूप में अंकित है । उक्त भूमि गुलाब वेग के पिता नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होना बताया है । उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा तार फेंसिग किये जाने से पुलिस द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई कर प्रश्नाधीन भूमि परम्परा से हिन्दू शिशु कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में आ रही होना मानातथा भूमि पर तार फेंसिग किये जाने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर शाजापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 6-12-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-9-2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी जॉच व बिना किसी साक्ष्य के विवादित भूमि को शासन की भूमि मानने में वैधानिक त्रुटि की है तथा अनुविभागीय अधिकारी को इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के पूर्वजोंके समय से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज होकर चली आ रही है व उक्त भूमि पर वर्तमान में भी राजस्व अभिलेख में आवेदक के पिता का नाम बतोर भूमिस्वामी दर्ज है जब भूमि आवेदक के नाम दर्ज है तो आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर सुरक्षा हेतु तार फेंसिग

लगाने का पूर्ण अधिकार है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेखित किया जाना कि खसरा वर्ष 1925 में विवादित भूमि कब्रिस्तान के नाम से दर्ज रही है इस कारण आवेदक भूमि पर तार फेंसिंग नहीं लगा सकता, पूर्णत: गलत है क्योंकि पिछले कई पीढियों से विवादित भूमि पर आवेदक व उनके पूर्व से उनके पूर्वज बतोर स्वामी नातेकाबिज है तथा राजस्व अभिलेख में भी उनका नाम स्वामी नातेदर्जहै ऐसी स्थिति में संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर उसके उपयोग में शासन या अन्य कोई भी व्यक्ति रोक नहीं लगा सकता है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि वर्ष 1925 में भूमि कब्रिस्तान दर्ज भी रही हो तो संहिता लागू होने के पूर्व से भूमि निजी दर्ज है जिसकी तुलना वर्ष1925 के खसरे से नहीं की जा सकती है व वर्तमान में यदि उक्त भूमि पर श्मशान होता तो राजस्व अभिलेखों में उक्त बावत् इंद्राज होता किन्तु ऐसा कोई इंद्राज राजस्व अभिलेखों में नहीं है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित भूमि कब्रिस्तान है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कई वर्षो से श्मशान/कब्रिस्तान के रूप में होकर राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्थान रूप में दर्ज है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि

प्रश्नाधीन पर आवेदक का कब्जा है या आवेदक इस भूमि का उपयोग करता रहा हो । संहिता के प्रावधान अनुसार यह किसी भूमि का उपयोग लम्बे से समय से श्मशान के रूप में हो रहा है और वह भूमि किसी निजी व्यक्ति की है तो विधि की प्रक्रिया अनुसार ही काबिज होने की कार्यवाही की जा सकती है । वर्तमान प्रकरण में आवेदक ने बिना प्रमाण के प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया है जो विधि विरूद्ध है । अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2010 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर